


(26)

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर, संभाग रीवा मोप्र० 390

R 5164-II/17



Rs
50/-

1- राजेन्द्र सिंह तनय स्व० श्री कृपाल सिंह बघेल

2- रावेन्द्र सिंह पिता स्व० श्री कृपाल सिंह बघेल

3- नरेन्द्र सिंह तनय स्व० श्री कृपाल सिंह बघेल

4- बृजेन्द्र सिंह तनय स्व० श्री कृपाल सिंह

सभी निवासी ग्राम शुक्ला तहसील रघुराजनगर जिला सतना मोप्र०
निगराकार/अपीलान्ट/आपत्तिकर्ता

बनाम

1- मनोज कुमार कुशवाहा पिता श्री जवाहर लाल कुशवाहा निवासी ग्राम टिकुरिया टोला
तहसील रघुराजनगर जिला सतना मोप्र० आवेदक/रेश्पा०/गैर निगराकार

2- लवकेश सिंह तनय स्व० श्री सहादेव सिंह

3- कमलेश्वर सिंह तनय स्व. श्री सहादेव सिंह

दोनों बहैसियत मुख्यार आम संतभान सिंह आयु 23 साल तनय श्री कमलेश्वर सिंह
निवासी बरदाडीह तहसील रघुराजनगर जिला सतना
मोप्र० अनावेदक/रेश्पा० गण/गैर निगराकार

निगरानी बिरुद्ध आदेश दिनांक 30-3-2017 जो न्यायालय

अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर जिला सतना मोप्र० द्वारा

क्रमांक 23 अप्रैल / 2014-15 में अन्तर्वर्तीय आदेश पारित किया

जाकर अपील अवेट होने के कारण निरस्त किया गया है।

अन्तर्गत धारा 50 मोप्र० भ० रा० सं०

मान्यवर,

निगराकार द्वारा निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि -

२१५८८५४६

(266)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.S.I.C. 117 जिला रामगढ़ी

राजस्व सिंह विरुद्ध भताचार्य कुमार

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. विरुद्ध कुमार शिंगाड़ी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील रामगढ़ी के प्रकरण क्रमांक 23/भूपील. 16/15 में पारित आदेश दिनांक 3.03.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। मोप्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रामगढ़ी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29-03-19 को कलेक्टर रामगढ़ी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	-



सदस्य



मान्यवर,

निगराकार द्वारा निगरानी प्रस्त॑त कर निवेदन है कि -